

कार्यालय जिलाधिकारी, Banda
(खनन अनुभाग)

पत्रांक :-UP/Banda/No-4094, Dated: 05-12-2024

दिनांक :-05-12-2024

ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की जनपद Banda में नदी तल में उपलब्ध Morrur के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-23(1) के अंतर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से उक्त नियमावली के अध्याय-4 के तहत खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्धता घोषित करते हुए इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को निम्नवत शर्तों व कालयोजना/अवधि में ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रित किया जाता है:-

1. क्षेत्र का विवरण:-

क्र०सं०	एरिया कोड	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				जियोकोर्डिनेट		नियमावली 2021 के अनुसार रायल्टी दर (रु० प्रति घन मी)	खनन योग्य आंकलित उप खनिज की मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी रु० में	अर्नेस्ट मनी (कॉलम 13 में अंकित सकल घनराशि का 25 प्रतिशत रु० में)
				तहसील	ग्राम/एरिया कोड	गाटा सं०/खंड सं०/जोन सं०	क्षेत्रफल (हे० में)	अक्षांश	देशांतर				
1	1553830202	Morrur	Ken	Naraini	Lahureta - 155383	195/1 भाग, 191, 3	33.0000	A-25°-9'18.92" B-25°-9'25.443" C-25°-9'29.827" D-25°-9'28.816" E-25°-9'29.759" F-25°-9'29.744" G-25°-9'33.565" H-25°-9'34.781" I-25°-9'36.742" J-25°-9'27.952" K-25°-9'23.079" L-25°-9'20.872" M-25°-9'19.621"	A-80°-23'16.533" B-80°-23'20.642" C-80°-23'30.629" D-80°-23'32.059" E-80°-23'33.439" F-80°-23'39.342" G-80°-23'44.506" H-80°-23'48.013" I-80°-24'5.888" J-80°-24'7.825" K-80°-23'33.9" L-80°-23'27.633" M-80°-23'18.963"	150	355535	53330250.00	13332562.50
2	2163390203	Morrur	Yamuna	Banda	Benda Khadar - 216339	2/4, 2/23, 2/24 व 2/28 (खण्ड सं०-01)	21.0000	A-25°-42'25.68" B-25°-42'18.78" C-25°-42'29.1" D-25°-42'36.12"	A-80°-36'40.62" B-80°-37'2.64" C-80°-37'5.04" D-80°-36'42.6"	150	630000	94500000.00	23625000.00
3	1553100217	Morrur	Ken	Naraini	Jarar - 155310	851, 866, 867, 869, 872, 876	8.0000	A-25°-19'15.556" B-25°-19'15.083" C-25°-19'8.741" D-25°-18'49.951" E-25°-18'46.303" F-25°-18'46.524" G-25°-18'49.868" H-25°-18'49.928" I-25°-18'55.594"	A-80°-19'14.381" B-80°-19'18.467" C-80°-19'19.938" D-80°-19'20.328" E-80°-19'19.917" F-80°-19'17.521" G-80°-19'18.19" H-80°-19'17.315" I-80°-19'18.013"	150	160000	24000000.00	6000000.00
4	2174390201	Morrur	Ken	Palani	khaptiha kalan khadar - 217439	100 का भाग (खण्ड सं०-03)	16.0000	A-25°-40'32.64" A'-25°-40'33.84" B-25°-40'36.12" C-25°-40'28.47" D-25°-40'27.83"	A-80°-21'40.4" A'-80°-21'54.73" B-80°-22'6.06" C-80°-22'9.08" D-80°-21'39.12"	150	239932	35989800.00	8997450.00
5	2174400201	Morrur	Ken	Palani	khairi khadar - 217440	2/1, 2/2 व 2/4	5.8000	A-25°-42'5.03" B-25°-41'35.87" C-25°-41'40.5" D-25°-42'3.56" E-25°-42'6.04" F-25°-42'6.48"	A-80°-20'38.15" B-80°-20'43.79" C-80°-20'43.99" D-80°-20'42.08" E-80°-20'42.99" F-80°-20'41.97"	150	116000	17400000.00	4350000.00
6	2163400210	Morrur	Yamuna	Baberu	Charka Khadar - 216340	21/10	11.0000	A-25°-40'66.66" B-25°-40'32.15" C-25°-40'30.16" D-25°-40'43.34"	A-80°-56'46.85" B-80°-56'47.82" C-80°-56'40.67" D-80°-56'35.68"	150	330000	49500000.00	12375000.00
7	1552630201	Morrur	Bagen	Atarra	Chandaur - 155263	2494	7.8000	A-25°-16'57.36" B-25°-16'55.62" B'-25°-16'45.9" C-25°-16'35.1" D-25°-16'57.36" D'-25°-16'44.64"	A-80°-42'34.44" B-80°-42'38.04" B'-80°-42'40.38" C-80°-42'34.44" D-80°-42'34.44" D'-80°-42'37.14"	150	95657	14348550.00	3587137.50
8	2163320201	Morrur	Ken	Banda	Pathari Khadar - 216332	part of 72/47, part of 74/1, 75mi खण्ड-1	20.0000	A-25°-36'44.348" B-25°-36'42.348" C-25°-36'54.652" D-25°-37'10.907"	A-80°-17'25.134" B-80°-17'21.744" C-80°-17'9.6" D-80°-16'44.517" E-80°-16'37.64" F-80°-16'51.93" G-80°-16'58.557" H-80°-17'11.432"	150	287954	43193100.00	10798275.00

								E-25°-37'20.56" F-25°-37'15.62" G-25°-37'6.301" H-25°-36'56.347"					
9	1549770202	Morrum	Ken	Banda	Durendi - 154977	678, 680ख, 681ख, 682, 677क, 683ख, 676	24.0000	A-25°-28'18.96" B-25°-28'14.04" C-25°-28'17.22" D-25°-28'16.98" E-25°-27'56.94" F-25°-27'50.28" G-25°-27'45.9" H-25°-27'45.12"	A-80°-18'35.64" B-80°-18'43.68" C-80°-18'47.28" D-80°-18'48.3" E-80°-18'41.52" F-80°-18'38.34" G-80°-18'38.1" H-80°-18'33.66"	150	330141	49521150.00	12380287.50
10	1553810201	Morrum	Ranj	Naraini	Barkola Kalan - 155381	659, 724, 805	10.0000	A-25°-7'19.6" B-25°-7'19.35" C-25°-7'18.79" D-25°-7'17.82" E-25°-7'16.74" F-25°-7'16.41" G-25°-7'14.57" H-25°-7'9.3" I-25°-7'6.9" J-25°-7'5.86" K-25°-7'6.9" L-25°-7'6.93" M-25°-7'6.73" O-25°-7'7.37" P-25°-7'9.87" Q-25°-7'14.69" R-25°-7'16.51" S-25°-7'18.97" T-25°-7'19.22" U-25°-7'19.81" V-25°-7'19.95" A-25°-7'5.86" B-25°-7'6.9" B1-25°-7'6.53" C-25°-7'5.176" D-25°-7'3.706" E-25°-7'5.68" F-25°-7'10.657" G-25°-7'14.99" H-25°-7'20.428" I-25°-7'22.35" J-25°-7'25.315" K-25°-7'24.836" L-25°-7'23.684" M-25°-7'22.94" N-25°-7'25.595" O-25°-7'27.01" P-25°-7'26.961" Q-25°-7'26.573" R-25°-7'23.441" S-25°-7'22.415" T-25°-7'23.029" U-25°-7'23.418" V-25°-7'21.136" W-25°-7'19.853" X-25°-7'15.209" Y-25°-7'5.685" Z-25°-7'3.042" A'-25°-7'4.445" B'-25°-7'5.853" C'-25°-7'5.757" A-25°-7'33.791" B-25°-7'33.852" C-25°-7'39.042" D-25°-7'42.758" E-25°-7'42.703" F-25°-7'40.039" G-25°-7'39.873" H-25°-7'38.556" I-25°-7'39.169" J-25°-7'45.438" K-25°-7'49.003" L-25°-7'48.568" M-25°-7'47.523" N-25°-7'46.375" O-25°-7'47.828" P-25°-7'39.274" Q-25°-7'38.008" R-25°-7'37.869" S-25°-7'39.176" T-25°-7'41.689" U-25°-7'38.909"	A-80°-25'54.03" B-80°-25'53.32" C-80°-25'55.93" D-80°-25'56.9" E-80°-25'56.66" F-80°-25'57.06" G-80°-25'58.17" H-80°-26'2.3" I-80°-26'5.31" J-80°-26'7.28" K-80°-26'7.73" L-80°-26'7.64" M-80°-26'7.52" O-80°-26'6.17" P-80°-26'2.98" Q-80°-25'59.32" R-80°-25'57.68" S-80°-25'57.39" T-80°-25'57.24" U-80°-25'55.38" V-80°-25'54.11" A-80°-26'7.28" B-80°-26'7.73" B1-80°-26'9.184" C-80°-26'12.159" D-80°-26'17.416" E-80°-26'19.288" F-80°-26'19.236" G-80°-26'18.96" H-80°-26'22.13" I-80°-26'22.817" J-80°-26'26.984" K-80°-26'29.413" L-80°-26'31.741" M-80°-26'34.142" N-80°-26'37.082" O-80°-26'37.63" P-80°-26'38.362" Q-80°-26'38.343" R-80°-26'36.407" S-80°-26'34.475" T-80°-26'29.371" U-80°-26'25.813" V-80°-26'23.055" W-80°-26'22.205" X-80°-26'20.178" Y-80°-26'20.361" Z-80°-26'16.702" A'-80°-26'11.634" B'-80°-26'7.509" C'-80°-26'7.44" A-80°-26'39.296" B-80°-26'38.143" C-80°-26'39.034" D-80°-26'42.749" E-80°-26'45.489" F-80°-26'50.718" G-80°-26'50.779" H-80°-26'56.294" I-80°-26'59.841" J-80°-27'0.294" K-80°-27'0.507" L-80°-27'5.449" M-80°-27'8.672" N-80°-27'8.157" O-80°-27'3.481" P-80°-27'1.661" Q-80°-26'58.076" R-80°-26'54.38" S-80°-26'50.166" T-80°-26'44.209" U-80°-26'40.578"	150	143177	21476550.00	5369137.50
11	1553840201	Morrum	Ken	Naraini	Barsanda Manpur - 155384	3/1/1 का भाग, खण्ड सं0-01	21.0000	A-25°-8'29.212" B-25°-8'17.616" C-25°-8'4.219" D-25°-8'4.808" E-25°-8'1.735" F-25°-8'0.617" G-25°-7'35.256" H-25°-7'35.11" I-25°-8'0.472" J-25°-8'6.081" K-25°-8'13.013" L-25°-8'16.458" M-25°-8'26.7" N-25°-8'33.241" O-25°-8'34.764"	A-80°-21'45.653" B-80°-21'26.688" C-80°-21'26.115" D-80°-21'24.824" E-80°-21'25.735" F-80°-21'27.442" G-80°-21'22.92" H-80°-21'20.663" I-80°-21'25.69" J-80°-21'22.935" K-80°-21'23.672" L-80°-21'21.378" M-80°-21'27.948" N-80°-21'42.524" O-80°-21'43.929"	150	302351	45352650.00	11338162.50
12	1553840202	Morrum	Ken	Naraini	Barsanda	3/1/1	21.0000	A-25°-8'36.845"	A-80°-22'39.621"	150	302351	45352650.00	11338162.50

					Manpur - 155384	का भाग, खण्ड सं०-02		B-25°-8'39.658" C-25°-8'37.761" D-25°-8'29.212" E-25°-8'31.95" F-25°-8'33.62" G-25°-8'34.426" H-25°-8'33.894" I-25°-8'35.097" J-25°-8'35.412" K-25°-8'42.753" L-25°-8'41.64" M-25°-8'41.722" N-25°-8'39.917" O-25°-8'40.38" P-25°-8'43.708" Q-25°-8'42.229"	B-80°-22'14.223" C-80°-22'3.461" D-80°-21'45.653" E-80°-21'44.147" F-80°-21'46.493" G-80°-21'46.534" H-80°-21'47.595" I-80°-21'47.784" J-80°-21'45.654" K-80°-22'5.009" L-80°-22'5.064" M-80°-22'6.064" N-80°-22'7.279" O-80°-22'9.79" P-80°-22'13.362" Q-80°-22'34.943"				
13	1553900201	Morrum	Ranj	Naraini	Shah Patan - 155390	420, 530/2, 532, 709, 716	6.9300	A-25°-8'2.724" B-25°-8'1.787" C-25°-7'57.142" D-25°-7'56.664" E-25°-7'54.489" F-25°-7'42.991" G-25°-7'40.847" H-25°-7'47.088" I-25°-7'47.762" J-25°-7'42.067" K-25°-7'45.491" L-25°-7'57.813" M-25°-7'59.171" N-25°-8'0.733"	A-80°-27'58.579" B-80°-28'58.735" C-80°-27'43.461" D-80°-27'36.183" E-80°-27'32.313" F-80°-27'26.757" G-80°-27'18.916" H-80°-27'7.511" I-80°-27'7.97" J-80°-27'19.294" K-80°-27'26.41" L-80°-27'32.871" M-80°-27'47.667" N-80°-27'52.736"	150	101227	15184050.00	3796012.50
14	1549610202	Morrum	Ken	Banda	Achharaund - 154961	1130 का भाग खण्ड सं०-02	28.0000	A-25°-32'54.396" B-25°-32'56.3" C-25°-32'25.02" D-25°-32'26.04"	A-80°-16'26.602" B-80°-16'33.335" C-80°-16'52.08" D-80°-16'37.62"	150	613529	92029350.00	23007337.50
15	1552520201	Morrum	Bagen	Atarra	Mahuta - 155252	876क, 886क, 1481, 1482, 1505, 2031, 2039, 2047, 22	21.0000	A-25°-13'16.61" B-25°-13'13.53" C-25°-13'14.36" D-25°-13'12.29" E-25°-13'11.71" F-25°-13'14.85" G-25°-13'9.75" H-25°-13'10.29" I-25°-13'16.35" J-25°-13'12.4" K-25°-13'8.53" L-25°-13'10.13" M-25°-13'3.12" N-25°-13'2.2" O-25°-12'59.15" P-25°-12'35.6" Q-25°-12'32" R-25°-12'32.4" S-25°-12'46.26" T-25°-12'56.82" U-25°-12'41.35" V-25°-12'41.66" W-25°-12'32.99" X-25°-12'33.39" Y-25°-12'35.39" Z-25°-12'38.57" AA-25°-12'33.36" AB-25°-12'41.35" AC-25°-12'33.27" AD-25°-12'29.85" AE-25°-12'28.01" AF-25°-12'26.19" AG-25°-12'21.64" AH-25°-12'23.7" AI-25°-12'32.51" AJ-25°-12'29.34" AK-25°-12'26.82" AL-25°-12'24.53" AM-25°-12'25.03" AN-25°-12'28.15" AO-25°-12'30.41" AP-25°-12'30.08" AQ-25°-12'31.71" AR-25°-12'32.03"	A-80°-37'42.51" B-80°-37'45.41" C-80°-37'40.27" D-80°-37'43.48" E-80°-37'42.96" F-80°-37'29.74" G-80°-37'26.94" H-80°-37'25.63" I-80°-37'29.09" J-80°-37'25.08" K-80°-37'25.34" L-80°-37'24.24" M-80°-37'8.89" N-80°-37'8.67" O-80°-37'0.74" P-80°-37'10.35" Q-80°-37'8.27" R-80°-37'7.69" S-80°-37'4.12" T-80°-36'56.41" U-80°-37'5.17" V-80°-37'5.95" W-80°-37'7.12" X-80°-36'59.34" Y-80°-36'46.26" Z-80°-36'33.57" AA-80°-36'21.22" AB-80°-36'30.07" AC-80°-36'18.53" AD-80°-36'18.95" AE-80°-36'11.95" AF-80°-36'13.01" AG-80°-35'58.34" AH-80°-36'0.36" AI-80°-36'2.77" AJ-80°-36'4.32" AK-80°-36'4.33" AL-80°-36'59.51" AM-80°-35'57.76" AN-80°-35'59.56" AO-80°-36'0.09" AP-80°-36'1.1" AQ-80°-36'2.19" AR-80°-36'1.66"	150	210000	31500000.00	7875000.00

2.ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल स्थिति उपखनिज के खनन पट्टा अधिकतम अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जाएगी।

3.ई-निविदा सह ई-नीलामी की बिड/बोली उप खनिज की प्रति घन मीटर के लिए दी जाएगी, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिए जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी जम्मा कर ली जाएगी प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घन मी०) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी०) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी।

4.ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई-निविदा संपन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बोली दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बोली पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।

5.किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।

6.एम०एस०टी०सी० लि० (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन एम०एस०टी०सी० के ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जाएगी।

7.इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाइन बिड/बोली हेतु class III Singing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम०एस०टी०सी० के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी०एस०सी० की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

8.पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एम०एस०टी०सी० के पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा। किसी व्यक्ति/फर्म/कंपनी के पक्ष में पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल से बिड अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे बिड में भाग नहीं ले सकेंगे। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कंपनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू०-15,000 (रू० पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम०एस०टी०सी० पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।

9.ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कंपनी को एम०एस०टी०सी० में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कंपनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस ऑनलाइन पंजीकरण के उपरांत बिडर्स को एम०एस०टी०सी० को ऑनलाइन फॉर्म भेजना अनिवार्य होगा, साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी०एस०टी० सहित रू०-2,360 (रू० दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम०एस०टी०सी० पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लागिन आई०डी०, पासवर्ड एवं अकाउंट एम०एस०टी०सी० के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत बिडर्स जिसके पंजीकरण की अवधि वैध है, उन्हें पंजीकरण शुल्क देना नहीं होगा परन्तु नए नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।

10.पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

- 1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कंपनी के मामले में कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कंपनी के प्रबंध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण पत्र की प्रति।
- 2) आवेदक का अह्वाधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अह्वाधिक चरित्र प्रमाण की प्रति तथा कंपनी के मामले में प्रबंध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कंपनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थाई रूप से निवास करता हो।
- 3) आवेदक का पैनकार्ड की प्रति, फर्म या कंपनी के मामले में उसका पैनकार्ड एवं जी०एस०टी० नं० की प्रति।
- 4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह ई-नीलामी से सम्बंधित समस्त वित्तीय हस्तांतरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई०एफ०एस०सी० कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।
- 5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहाँ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।
- 6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

11.एम०एस०टी०सी० द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कंपनी का पंजीकरण किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कंपनी ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं:-

- 1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।
- 2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
- 3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहाँ वह स्थाई रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
- 4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
- 5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो प्रस्तुत न किया हो।

12. ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी की बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी।

13. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक ₹0-15000 (₹0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

14. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

15. जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।

16. अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जन्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र अथवा 50 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर आफ इन्टेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

17. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया:-

1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उपखनिज के लिये प्रतिघन मीटर के लिये दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिये नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगा। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई-निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक-पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई-नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रति घन मीटर दिया गया दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदा दाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा।

रत्नगर्भा वसुन्धरा



(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (आफर) में प्रति घन मीटर में दिया गया दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुये स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पाँच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

3) उपरोक्त प्रस्तर-17(2)(ग)(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।

4) द्वितीय चरण में ई-नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिये न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

5) ई-नीलामी की प्रक्रिया जो ई-निविदा खोलने के के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। ई-नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।

6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिये बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।

7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

प्री-बिड अर्नेस्ट मनी जमा करने की अवधि	ई-निविदा से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित प्री बिड ईएमडी एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 वेबसाइट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है एवं बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें।	
प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि	16-12-2024 (10:00 बजे) से 19-12-2024 (17:00 बजे) तक	
विज्ञप्ति में क्षेत्र क्रमांक संख्या	प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना व मूल्यांकन	द्वितीय चरण की ई-नीलामी
1	20-12-2024 10:00 से 12:00 तक	20-12-2024 14:00 से 16:00 तक
2	20-12-2024 10:00 से 12:00 तक	20-12-2024 14:00 से 16:00 तक
3	23-12-2024 10:00 से 12:00 तक	23-12-2024 14:00 से 16:00 तक
4	23-12-2024 10:00 से 12:00 तक	23-12-2024 14:00 से 16:00 तक
5	24-12-2024 10:00 से 12:00 तक	24-12-2024 14:00 से 16:00 तक
6	24-12-2024 10:00 से 12:00 तक	24-12-2024 14:00 से 16:00 तक
7	26-12-2024 10:00 से 12:00 तक	26-12-2024 14:00 से 16:00 तक
8	26-12-2024 10:00 से 12:00 तक	26-12-2024 14:00 से 16:00 तक
9	27-12-2024 10:00 से 12:00 तक	27-12-2024 14:00 से 16:00 तक
10	27-12-2024 10:00 से 12:00 तक	27-12-2024 14:00 से 16:00 तक
11	30-12-2024 10:00 से 12:00 तक	30-12-2024 14:00 से 16:00 तक
12	30-12-2024 10:00 से 12:00 तक	30-12-2024 14:00 से 16:00 तक
13	31-12-2024 10:00 से 12:00 तक	31-12-2024 14:00 से 16:00 तक
14	31-12-2024 10:00 से 12:00 तक	31-12-2024 14:00 से 16:00 तक
15	01-01-2025 10:00 से 12:00 तक	01-01-2025 14:00 से 16:00 तक

8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन:-

(क) प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य हैं अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते हैं।

(ख) एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की ई-नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

18. पट्टे का दिया जाना:नियमावली के नियम-28 के प्राविधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

19. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहां क्षेत्र स्थित है, के द्वारा कराना होगा। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

20. लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :-

- 1) प्रथम वर्ष के लिये देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिये विज्ञप्ति में आंकलित मात्रा घन मीटर को ई-निविदा/ई-नीलामी की दर रुपया घन प्रति मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- 2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टों की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किस्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किस्त में समायोजित कर ली जायेगी।
- 3) पट्टों के प्रथम वर्ष की शेष किस्ते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। पूर्व के परिहारधारको द्वारा पंचम अनुसूची प्रक्रिया अन्तर्गत धनराशि जमा करने के अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
- 4) पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा जिसमें सीमा बिन्दुओं का जिओ-कोऑर्डिनेटस भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा और इसका सदैव अनुरक्षण करेगा।
- 5) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय अश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
- 6) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के भीतर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किस्त की धनराशि जमा के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रियां तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

21. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :

- 1) पट्टों की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिये मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिये प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
- 2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात् पट्टों के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुये जमा किया जाना होगा। प्रीबिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा आनलाईन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।



3) प्रथम वर्ष के लिये शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

4) पट्टाधारक द्वारा पट्टा धनराशि के किश्तों के सापेक्ष राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

22. शर्तें :-

1) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2) पट्टों के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित किया जायेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बों को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाएँ गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक होगा।

3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तत्काल खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जानबूझ कर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षता पूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।

4) पट्टाधारक नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट/तौल मशीन का निर्माण करेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त चेक पोस्ट/ गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई- प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित वार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगा और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0सी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गई समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित वार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैन लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।

7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

8) नदी की जलधारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिज का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

11) विज्ञापित क्षेत्रों के सम्बन्ध में पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगी।

12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

14) शर्त संख्या-19 के अनुसार ई-नीलामी के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर मूल अभिलेख का सत्यापन नहीं कराने पर बयाने की धनराशि (अनेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

15) पट्टाधारक द्वारा वन अनापत्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। खनिजों के परिवहन के लिये वन भूमि/वन मार्ग का प्रयोग नियमानुसार वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा।

16) प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन किया जाता है तो, संशोधन की सूचना www.msstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी। विज्ञप्ति में संशोधन की सूचना अलग से आवेदक को नहीं दी जायेगी।

17) सार्वजनिक सड़क, जलाशय, नहर, रेलवे/रेलवे लाईन, निवसित स्थल से 50 मीटर तथा नदी पर बने पुल से न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

18) पट्टा समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक को अन्तरित किये जाने में प्रस्तावक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

जिलाधिकारी
Banda |

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख, सचिव, उ0प्र0 शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. आयुक्त, Banda मण्डल Banda ।
4. शाखा प्रबंधक MSTC Limited भूतल वेयर हाउसिंग भवन CWC क्षेत्रीय कार्यालय परिसर विभूतिखंड गोमतीनगर लखनऊ 226010 ।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, Banda।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, Banda।
7. जिला सूचना अधिकारी Banda को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, Banda को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. उपजिलाधिकारी, Banda को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार प्रसार कराये।
10. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट Banda को कलेक्ट्रेट के सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी
Banda |

